

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-शिवपुरी (म0प्र0)

शिवपुरी, दिनांक 24/03/2017

//निविदा विज्ञप्ति//

वर्ष 2017-18 के लिये शिवपुरी जिले की देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर की बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का ई-टेंडर (पंचम चरण) द्वारा निष्पादन

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017-18 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2017 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये शिवपुरी जिले में वर्ष 2017-18 हेतु निष्पादन से शेष रहे 07 मदिरा समूहों के अंतर्गत 20 देशी मदिरा दुकानों एवं 05 विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक/27 भोपाल दिनांक 18.01.2017 में प्रकाशित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 522 दिनांक 23.03.2017 अनुसार देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की मदिरा दुकानों/एकल समूहों का पृथक-पृथक ई-टेंडर द्वारा निष्पादन कलेक्टर, जिला शिवपुरी की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा दिनांक 28.03.2017 को किया गया जावेगा। ई-टेंडर के पंचम चरण में वर्ष 2017-18 के लिये प्राप्त उच्चतम राशि का ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016-17 के परिगणित वार्षिक मूल्य के समतुल्य अथवा उससे अधिक राशि का होने पर उस ऑफर को स्वीकार कर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का निष्पादन जिला शिवपुरी द्वारा अंतिम किया जावेगा। निष्पादन हेतु रखी गयी मदिरा दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम एवं क्रमांक	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	
1	2	3	4	5	
1	SVP/7/FL/ PICCHORE	समूह क्र. 7	(क) दे.म. पिछोर क्र0-1	देशी	19163758
			(ख) दे.म. पिछोर क्र0-2	देशी	17286470
			(ग) वि.म. पिछोर	विदेशी	23523422
			योग :-		59973650
2	SVP/22/CL/ BAIRAD	समूह क्र. 22	(क) दे.म. बैराड़	देशी	22010343
			(ख) दे.म. गाजीगढ़	देशी	2678887
			(ग) दे.म. नदौरा	देशी	2160918
			(घ) वि.म. कालामढ़	विदेशी	13805257
		योग :-		40655405	
3	SVP/16/FL/ POHARI	समूह क्र. 16	(क) दे.म. पोहरी	देशी	15643777
			(ख) दे.म. पिपरघार	देशी	1727457
			(ग) दे.म. परिच्छा	देशी	5727733
			(घ) वि.म. पोहरी	विदेशी	17441983
		योग :-		40540950	
4	SVP/20/CL/ MAGRONI	समूह क्र. 20	(क) दे.म. मगरौनी	देशी	19912538
			(ग) दे.म. केरुआ डेम	देशी	4747715
			(ग) दे.म. छितरी	देशी	7491776
			(घ) दे.म. सीहोर	देशी	7177971
		योग :-		39330000	

निरंतर.....2


5	SVP/4/CL/ NARWAR	समूह क्र. 4	(क) दे.म. नरवर	देशी	14515931
			(ख) दे.म. नरवर कस्वा	देशी	8294818
			(ग) वि.म. नरवर	विदेशी	13736250
			योग :-		36546999
6	SVP/25/CL/ SUBHASHPURA	समूह क्र. 25	(क) दे.म. भवेड़	देशी	1325821
			(ख) दे.म. सुभाषपुरा	देशी	5780438
			(ग) दे.म. भानगढ़	देशी	3701006
			(घ) वि.म. सुभाषपुरा	विदेशी	4947909
			योग :-		15755174
7	SVP/33/CL/ BURDA	समूह क्र. 33	(क) दे.म. बूडदा	देशी	3337478
			(ख) दे.म. ककरौआ	देशी	2566865
			(ग) दे.म. गोवर्धन	देशी	2618307
			योग :-		8522650
महायोग :-					241324828

ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियाँ एवं कार्यक्रम :-

1	ई-टेंडर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियाँ	दिनांक 25 मार्च 2017 को दोपहर 12:00 बजे से 28 मार्च 2017 दोपहर 02:00 बजे तक।
2	ऑन-लाईन ई-टेंडर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 28 मार्च 2017 दोपहर 03:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 28 मार्च 2017 को सायंकाल 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त जानकारी, नियमों, विक्रय जापन, इयूटी की दर तथा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 09 माह की खपत आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी से किसी भी दिन, (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई-टेंडर सुविधा प्रदाता मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर भी अपलोड/घोषित की जायेगी। ई-टेंडर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अंतर्गत ई-टेंडर द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर ऑफर दे सकते हैं।



निरंतर.....3

शिवपुरी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के अंतर्गत संचालित होने वाली मदिरा दुकानों एवं उनके 01.04.2017 से संचालन के लिये घोषित नवीन सीमा क्षेत्रों की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है।

जो व्यक्ति शिवपुरी जिले में मदिरा दुकानों/एकल समूहों को ई-टेण्डर के माध्यम से लेना चाहते हैं वे www.govtpressmp.nic.in से मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 18.01.2017 को डाउनलोड कर अथवा जिला आबकारी कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



जिला आबकारी अधिकारी

जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

शिवपुरी, दिनांक 24/03/17


पृष्ठांकन क्रमांक/आब./ठेका/2017/986
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल म0प्र0 की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्रों, 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति शीघ्रताशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4- अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 7- समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, संभाग.....की ओर सूचनार्थ।
- 8- जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क समाचार के रूप प्रकाशन हेतु।
- 9- समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला.....की ओर प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ।
- 10- प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (NIC) जिला शिवपुरी की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 11- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व..... जिला शिवपुरी की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु सूचनार्थ।
- 12- प्रभारी अधिकारी सी.एस.-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- 13- प्रभारी अधिकारी विदेशी मद्य भाण्डागार, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

निरंतर.....4

//4//

- 14- समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक/मद्य भाण्डागार अधिकारी, जिला शिवपुरी म०प्र० की ओर अश्रेष्ठित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त क्षेत्र स्थित समस्त मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु संभावित इच्छुक व्यक्तियों से विशेष रूप से संपर्क कर निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करें, ताकि शासन के राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि प्राप्त हो सके।
- 15- नाजिर, कलेक्ट्रेट शिवपुरी, की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 16- जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।



जिला आबकारी अधिकारी
जिला - शिवपुरी (म०प्र०)